हिमाचल प्रदेश सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

सं0:ईडीएन–सी–बी(6)–8/2003–Vol-I दिनांकःशिमला–2 20th नवम्बर, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस विभाग के पत्र संख्या शिक्षा–11–ख (4)–37/85 दिनांक 12.07.1989, पत्र संख्या ई0डी0एन0–सी0–बी0 (6)–8/2003 दिनांक 12.06.2006 व 27.08.2009 तथा पत्र संख्या ई0डी0एन0–सी0–बी (6)–8/2003-Vol-I 17.01.2019 व 27.09.2021 के अर्न्तगत जे0बी0टी0 तथा सी0 एण्ड वी0 अध्यापकों हेतु एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण हेतु अधिसूचित नीति का नवीनतम स्वरूप प्रकाशित करने हेतु अपनी सहर्ष स्वीकृती प्रदान करते हैः–

(क) अर्न्तजिला स्थनान्तरण नीति प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में कार्यरत जिला काडर के जे0बी0टी0 व सी0 एण्ड वी0 अध्यापकों पर लागू होगी।

(ख) प्रतिशतताः

जे0बी0टी0 एवं सी0 एण्ड वी संवर्ग की जिलावार काडर संख्या का 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष एक जिले से दूसरे जिले को अन्तर्जिला स्थानान्तरण हेतु विचार किया जाएगा।

(ग) पात्रताः

1. जे0बी0टी0 व सी0एण्ड वी0 संवर्ग के अध्यापकों ने अन्तर्जिला स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरण हेतु 5 वर्ष का कार्यकाल (अनुबन्ध सेवाकाल को जोड़ कर) पूरा कर लिया हो।

2. महिला अध्यापक के सन्दर्भ में शादी होने के कारण जिला बदलने पर कोई न्युनतम कार्यकाल निर्धारित नहीं होगा।

3. जे0बी0टी0 व सी0एण्ड वी0 संवर्ग के 60 प्रतिशत से अधिक अपंगता बाले अध्यापकों को एक ज़िले से दूसरे जिले में अन्तर्जिला स्थानान्तरण

नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरण हेतु कोई न्युनतम समय अवधि निर्धारित नहीं होगी।

4. विशेष परिस्थितियों में पांच वर्ष से कम सेवा काल के अध्यापकों के मामलों में केवल चिकित्सा आधार पर छूट दी जा सकती है बशर्ते कि चिकित्सा आधार के लिए चिकित्सा बोर्ड का प्रमाण पत्र हो।

5. जे0बी0टी0 व सी0एण्ड वी संवर्ग के अध्यापकों के परस्पर आधार पर अन्तर्जिला स्थानान्तरण के आवेदनों पर विचार किया जा सकता है इसके लिए कोई न्यूनतम समय सीमा निर्धारित नहीं होगी। अनुबन्ध व नियमित अध्यापक भी परस्पर स्थानान्तरित किये जा सकेगें, वशर्ते उन्हें अपनी वरिष्ठता खोकर जाना स्वीकार हो।

(घ) अन्तर्जिला स्थानान्तरण उसी शर्त पर होगा यदि जिस जिले में अध्यापक जाना चाहता हो वहां पर सम्बन्धित काडर का पद उपलब्ध हो।

(ड़) अन्तर्जिला स्थानान्तरण पर गये अध्यापकों को सम्बन्धित काडर की वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा।

(च) अन्तर्जिला स्थानान्तरण के आवेदन अगर अधिक पाये जाते है तो प्रतिवर्ष वरिष्ठता के आधार पर विचारे जायेंगे।

(छ) अन्तर्जिला अध्यापक का स्थानान्तरण सेवा काल में सिर्फ एक बार किया जायेगा।

(ज) दूसरे जिले में स्थानान्तरण पर जाते समय अध्यापक को कोई भी यात्रा भत्ता व कार्यभार संभालने के लिये कोई भी समय नहीं मिलेगा।

(झ) जो अध्यापक अन्तर्जिला नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरण चाहते हों उन्हें अपने प्रार्थना पत्र सम्बन्धित जिला के उप-निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) के कार्यालय में जमा करवाने होंगें। जिस उप निदेशक कार्यलय में आवेदन प्राप्त होगा वह सम्बन्धित दूसरे जिले के उप निदेशक से रिपोर्ट लेगा तथा पूर्ण मामला निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कार्यलय को अनुमोदन हेतु प्रेषित करेगा।

(ण) ऐडहोक/टैन्योर/अनुबन्ध/ग्रामीण विद्या उपासक/विद्या उपासक /एनटीटी/पैरा अध्यापकों (Adhoc/tenure/contract/GraminVidya Upasak/Vidya Upasak/NTT/Para Teacher) से जे0बी0टी0 एवं सी0 एण्ड वी0 संवर्ग में नियमितिकरण से पूर्व के कार्यकाल को भी स्थानान्तरण हेतु निर्धारित 5 वर्षों की गणना की जायेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू मानें जायेंगे।

आदेश द्वारा,

(राजीव शर्मा)
सचिव (शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि। तारीख शिमला–2, 20th नवम्बर 2021

प्रतिलिपिः–

1. समस्त प्रशासनिक अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. निदेशक उच्च शिक्षा, हि0 प्र0, शिमला–1 ।
3. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, हि0 प्र0, शिमला–1 ।
4. संयुक्त सचिव(शिक्षा–ए) शाखा,हि0 प्र0 सचिवालय, शिमला–2।
5. अवर सचिव(शिक्षा–बी) शाखा, हि0 प्र0 सचिवालय, शिमला–2।
6. राज्य परियोजना निदेशक(समग्र शिक्षा अभियान), हि0 प्र0, शिमला–1
7. समस्त जिला उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश को आगामी कार्यवाही हेतु।
8. रक्षक नस्ति।

अवर सचिव(प्रा0शिक्षा),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।